निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. –03 / 2023

धीरेन्द्र पुत्र राजेन्द्र सिंह राणावत, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी अम्बा माता स्कीम उदयपुर, हाल नीमडी, पटवार हल्का देवपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

.................प्रार्थी

बनाम

1. तृप्ती पुत्री स्व. परमेश्वर सिंह राणावत, उम्र बालिग, निवासी नीमडी फार्म, पुलिस थाना जावदा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. विक्रम सिंह राठौड़ पुत्र हनुमन्त सिंह राठौड़, उम्र बालिग, निवासी नीमडी फार्म, पुलिस थाना जावदा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. पुष्पेन्द्रा कंवर पत्नी स्व. परमेश्वर सिंह राणावत, उम्र बालिग, निवासी नीमडी फार्म, पुलिस थाना जावदा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. भावना पुत्री स्व. परमेश्वर सिंह राणावत, उम्र बालिग, निवासी नीमडी फार्म, पुलिस थाना जावदा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. प्रणिति पुत्री स्व. परमेश्वर सिंह राणावत, उम्र बालिग, निवासी नीमडी फार्म, पुलिस थाना जावदा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

.................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र न्यायालय आदेश की अवमानना (आदेश 39 नियम 2ए)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री भूपेन्द्र पुरोहित
अप्रार्थीः– श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत।

निर्णय दिनांक – 21.08.2024

अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी तृप्ती वगैरह ने दिनांक 15.06.2021 को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष ग्राम नीमडी, प0ह0 देवपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ की खाता संख्या 2 खसरा संख्या 52, कुल रकबा 2.10 हैक्टेयर जमीन का सभी सहखातेदारों के बीच बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था जो विचाराधीन है साथ ही धारा 212 रा0टि0 एक्ट का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र 15.06.2021 को ही प्रस्तुत किया था जिसकी प्रकरण संख्या 40 / 2021 है जिस पर न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रार्थीगणों के प्रार्थना–पत्र को बिना अप्रार्थीयों को सुनें एकतरफा अन्तरिम बहस सुनते [illegible] संख्या 20, 21, 22, 23, 27, 33, 34, 35, 42, 49, 51, 53, 56, 58, 06 [illegible] पर [illegible] की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये ग[illegible] माह में मौके की यथास्थिति को परिवर्तन करते हुए बड़े–बड़े वृक्षों को काट डाला है तथा सभी सहखातेदारों के आने–जाने के रास्ते पर पत्थर लगा तारबंद[illegible]रा रास्ता छोटा कर यथास्थिति परिवर्तित कर दी है जो सीधे–सीधे न्यायालय आदेश की अवमानना है। अप्रार्थीगण एकतरफा स्टे का फायदा उठाते हुए लगातार कृषि आराजी की स्थित में परिवर्तन कर रहे है पुराने रास्तों को बंद कर दिया गया है, मेड़ें हाकर कर कंटीले तारों की बाड़बंदी कर वाद पेश करने के समय की स्थित को परिवर्तित कर दिया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.27 17:11:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

है जो न्यायालय आदेश की अवमानना है'' मौके की यथास्थिति बनाये रखना दोनों पक्षों के लिए बाध्य था'' जो अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय आदेश की अवहेलना की जा रही है। इसलिए अवमानना प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं अप्रार्थीगण को बार–बार मना करने पर भी नहीं मान रहे तथा लड़ाई–झगड़ा पर आमादा है, झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दे रहे है अप्रार्थीगण के विरूद्ध लड़ाई–झगड़ा, रास्ता रोकने का मुकदमा न्यायालय रावतभाटा में विचाराधीन है जिसकी प्रकरण संख्या 387/22 है। अंत में न्यायालय के आदेश की अवमानना के लिए अप्रार्थीगणों को दण्डित किया जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की ओर अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत ने पैरवी हेतु उपस्थित दी। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा.दी. का पेश किया। प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी धीरेन्द्र पिता श्री राजेन्द्र सिंह राणावत की ओर से प्रस्तुत किया गया है, वह प्रथमदृष्टया ही विधि विरूद्ध होकर विधि से वर्जित है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा प्रकरण संख्या 40/2021 में जो न्यायालय आदेश दिनांक 15.06.2021 को जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट आदेश है कि प्रकरण संख्या. 40/2021 में प्रार्थीगण सुश्री काव्यायनी, कीर्ति देव सिंह, चक्रवर्ती सिंह, पुष्पेन्द्रा, भावना, प्रणिति के कब्जे स्वामित्व की आराजी जो ग्राम निमडी प0ह0 देवपुरा की खाता संख्या 02 आराजी संख्या 20, 21, 22, 23, 27, 33, 34, 35, 42, 49, 51, 53, 56, 58, 6 व 8 पर उक्त सभी काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण धीरेन्द्र सिंह, रणआदित्य सिंह, विनोद पाठक, विरेन्द्र सिंह, शक्ति सिंह, श्रीमती पदमा कुमारी, श्रीमती अनुराधा, हर्षवर्धन सिंह व भूमिधारी तहसीलदार साब को पाबंद किया था कि आगामी आदेश तक प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की उक्त वर्णित कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना करें व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे, उक्त आदेश में अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया था ना कि प्रार्थीगण को इसलिए प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि पर उक्त अवमानना प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण बनाया है, वह विधि विरूद्ध है, क्योंकि उक्त अवमानना प्रार्थना पत्र में जिन आराजीयात को लेकर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश थे, वह धीरेन्द्र सिंह पिता राजेन्द्र सिंह को आदेशित किया गया था, इसलिए प्रार्थी धीरेन्द्र सिंह को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। अन्त में प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि प्रकरण विधि विरूद्ध होने से प्रकरण को मूल ही लौटाया जावे या खारीज फरमाया जावें। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब देने से इन्कार कर सिधे बहस करने का निवेदन किया ।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रतिवादी/प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण सुश्री काव्यायनी, कीर्ति देव सिंह, चक्रवर्ती सिंह, पुष्पेन्द्रा, भावना, प्रणिति के कब्जे स्वामित्व की आ[illegible] ग्राम निमडी प0ह0 देवपुरा की खाता संख्या 02 आराजी संख्या 20, 21, 22, [illegible] 27, [illegible] 34, 35, 42, 49, 51, 53, 56, 58, 6 व 8 पर उक्त सभी काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण धीरेन्द्र सिंह, रण[illegible] सिंह, [illegible] विरेन्द्र सिंह, शक्ति सिंह, श्रीमती पदमा कुमारी, श्रीमती अनुराधा, हर्षवर्धन [illegible] व भूमिधारी तहसीलदार साब को पाबंद किया था कि आगामी आदेश तक प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की उक्त वर्णित कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना करें व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे, उक्त आदेश में अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया था ना कि प्रार्थीगण को इसलिए प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि पर उक्त अवमानना प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण बनाया है, वह विधि विरूद्ध है, इस प्रकार वादीगणों ने दावे में गलत तथ्य अंकित किये है जिससे दावा चलने योग्य नहीं होने से खारिज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.27 17:11:18 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत वकील विपक्षी/वादी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र अवमानना कार्यवाही का है तथा राजस्व नियमों एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 का प्रस्तुत नहीं होता, अवमानना कार्यवाही प्रार्थना पत्र अंतर्गत होती है, उक्त वाद नहीं है तथा वाद में ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होता है। प्रकरण संख्या 40/2021 दिनांक 15.06.2021 के निर्णय में मौके की यथास्थिति के आदेश है, यथास्थिति का अर्थ दोनों पक्षों को मौके की यथास्थिति बनाये रखनी होती है ऐसा नहीं कि एक पक्ष सहखातेदारी की आराजीयात बिना बंटवारे के इच्छानुसार निर्माण करता रहे तथा दुसरे पक्षकार एकतरफा यथास्थिति बनाये रखे। आदेश स्पष्ट नहीं है, मौके की यथास्थितिके आदेश है यथास्थिति सभी सहखातेदारों पर लागू होती है सहखातेदारी में प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक इंच पर कब्जा है ऐसा नहीं कि अप्रार्थी तृप्ति वगैरह उक्त आराजी पर निर्माण कार्य करते रहे तथा धीरेन्द्र सिंह वगैरह आराजी पर आ जा भी ना सकें। अवमानना कार्यवाही प्रार्थना पत्र कोई विधि विरूद्ध प्रस्तुत नही हुआ है सभी सहखातेदारों के ट्रान्सफार्मर साथ लगे हुए है सिंचाई के लिए ट्रांसफार्मर के पास जाना पडता है हमारे द्वारा यथास्थिति बनायी हुई है विपक्षी द्वारा तारबंदी व पक्का निर्माण कराया जा रहा है जो पत्रावली में प्रस्तुत फोटोग्राफ से स्पष्ट है। विपक्षी तृप्ति वगैरह के विरूद्ध प्रकरण संख्या 387/22 एसीजेएम न्यायालय रावतभाटा में विचाराधीन है, वारण्ट न्यायालय द्वारा जारी किये गये है तथा वारण्ट से अप्रार्थी बचते फिर रहे है मौके की यथास्थिति व लडाई झगडा ना हो इसलिए थानाधिकारी जावदा द्वारा भी दोनो पक्षों को पाबन्द के लिए न्यायालय में समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया हुआ है इस्तगासा नम्बर 02/2021 है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वेग प्रार्थना पत्र मय हर्जे खारीज फरमाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण ग्राम निमडी प0ह0 देवपुरा की खाता संख्या 02 आराजी संख्या 20, 21, 22, 23, 27, 33, 34, 35, 42, 49, 51, 53, 56, 58, 6 व 8 के संबंध वकील अप्रार्थी द्वारा हज न्यायालय के आदेश दिनांक 15.06.2021 का अवलोकन कराया जिसमें स्थिति स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण को यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय आदेश की अवमानना का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना विधिवर्जित होकर प्रथमदृष्टया स्वीकार योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचनों के अनुकम में वादी/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवमानमा का चलने योग्य नहीं होने से प्रथमदृष्टया ही खारिज योग्य है, जिससे प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 जा.दी. का प्रमाणित होने से स्वीकार योग्य पाया गया है।

अतः प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 [illegible] से स्वीकार किया जाकर वादीगण का प्रार्थना पत्र न्यायालय आदेश की [illegible] का का खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 21.0[illegible] फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.27 17:11:18 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)R.A.S.
सहायककलेक्टर एवं
उपखण्डअधिकारी, रावतभाटा